Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

लीलावती बनाम कुमकुम कुमारी वगै.

किस्म मुकदमा :– 75 एलआरए

नं. मुकदमा......03 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.08.2024	यह अपील जरिये अपीलांट अधिवक्ता श्री सुरजाराम शर्मा द्वारा पेश की गयी। रिपोर्ट सरिश्ते की होकर प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। रेस्पोडेंटान को बअखज तलबाना जरिये रजि. ए.डी. नोटिस तलब किया जावे। इसके पश्चात् स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलांट को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.1988 नामान्तरण सं. 183 मौजा रोही लूनकरनसर ग्राम पंचायत लूनकरनसर तहसील लूनकरनसर प्रकरण में मोजा रोही भोजावास पटवार हल्का डेलाना बडा के खसरा न पुराने 56, व खसरा नम्बर 59 मीन व खसरा नम्बर 86 मीन कुल तादादी 50 बीघा बारानी खातेदारी भूमि अपीलान्ट क पिता रामकिशन पुत्र जीसुखराम के नाम दर्ज व नया खसरा नम्बर 131 में 5.4500 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि में रिकॉर्ड एवं पंजीयन की यथास्थिति करने का निवेदन किया। हमने वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया गया । बहस वकील अपीलांट एवं प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुवे स्थगन आदेश इस अमर का जारी किया जाता है कि आदेश जैर अपील मौजा रोही लूनकरनसर ग्राम पंचायत लूनकरनसर तहसील लूनकरनसर प्रकरण में मोजा रोही भोजावास पटवार हल्का डेलाना बडा के खसरा न पुराने 56, व खसरा नम्बर 59 मीन व खसरा नम्बर 86 मीन कुल तादादी 50 बीघा बारानी खातेदारी भूमि व नया खसरा नम्बर 131 में 5.4500 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि मे आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त भूमि का अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 11 रिकॉर्ड व पंजीयन की यथास्थिति बनाये रखे। इसमें अगर अप्रार्थीगण को कोई उजर या एतराज हो तो नियत तारीख पेशी पर उपस्थित हो। तहसीलदार लूनकरनसर से रिकॉर्ड तलब हो। यह आदेश DILRMP एवं भारतमाला प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भूमि एवं प्रचलित रास्तों के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं होंगे। तहरीर अलग से जारी होकर पत्रावली वास्ते तलबी आइन्दा दिनांक 26.09.2024 को पेश हो। Rajendra	
28/08/24	पत्रावली आज अपीलान्ट द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र विड्रॉल हेतु पेश करने पर पेश हुई। अपीलान्ट द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अपील विड्रॉ हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थी की तस्दीक अपीलान्ट वकील सुरजाराम शर्मा द्वारा की गयी। प्रार्थना पत्र बाबत विड्रॉ स्वीकार किया जाता है। अपील इसी स्टेज पर जरिये विड्रॉ प्रार्थना पत्र खारिज की जाती है। पत्रावली रिकॉर्ड में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। Rajendra उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर	उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर (seal) लीलावती [illegible]